भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1041

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सीएसआर निधियां प्राप्त करने हेतु मानक नयाचार

1041. श्री हैबी ईडन:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लाभार्थियों के चयन में पक्षपात से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लाभ समाज के सर्वाधिक पात्र वर्गों तक पहुंचें, सीएसआर निधियां प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए मानदंड अथवा मानक नयाचार स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को ऐसे दृष्टांतों की जानकारी है जिनमें सीएसआर अंशदान द्वारा वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन और संगठन पारदर्शी, न्यायसंगत अथवा प्रभावी चयन प्रक्रिया के बिना सीएसआर परियोजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का है कि सीएसआर निधियां प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठन और संगठन समानता और समावेशिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए लाभार्थियों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया का पालन करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। अधिनियम के तहत, प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी को तीन या अधिक निदेशकों वाली एक सीएसआर समिति का गठन करना होता है, जिसमें से कम से कम एक निदेशक एक स्वतंत्र निदेशक होगा। इसके अतिरिक्त, धारा 135(9) में प्रावधान है कि 50 लाख रुपए से कम सीएसआर बाध्यता वाली कंपनियों को सीएसआर समिति गठित करने से छूट दी गई है। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और सिफारिश करेगी और कंपनी बोर्ड इसकी सिफारिशों के आधार पर, कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, निष्पादित करता है और निगरानी करता है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 135 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर कार्यकलाप स्वयं द्वारा या निम्नलिखित के माध्यम से करने का अधिकार है:

.....जारी 2/-

i. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसाइटी, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के तहत छूट दी गई है या धारा 12क के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के 80छ के तहत अनुमोदित है, जो -
   - कंपनी द्वारा स्थापित है, या तो अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ: या
   - इसी तरह की कार्यकलापों को शुरू करने में कम से कम तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है

ii. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसाइटी: या

iii. संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई।

केंद्रीय सरकार के साथ उपरोक्त संस्थाओं का पंजीकरण 1 अप्रैल, 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है।

कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित है और कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग इसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों के लिए और तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। इसके अतिरिक्त, चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आबंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र अनुमेय समयावधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए सक्षम होगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण सभी कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में सूचित किया जाना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइटें हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है। सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना आवश्यक है। सरकार कोई निर्देश जारी नहीं करती है कि कंपनी किस कार्यकलाप या क्षेत्र पर व्यय करेगी।

इस प्रकार, मौजूदा कानूनी प्रावधान जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा के प्रावधान आदि के साथ-साथ, कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यकलापों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो रिकार्डों की विधिवत जांच करके और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

*****